प्रकरण संख्या 06/2024 अनवान छिन्द्रपाल सिंह बनाम राजस्थान सरकार अ0धा0 88 आरटीएक्ट निर्णय दिनांक ....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान -

छिन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री बलजीतसिंह उम्र 42 वर्ष जाति जटसिख निवासी वार्ड न. 02 चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।

...........वादी.............

बनाम-

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला राजस्थान सरकार अनूपगढ

..............प्रतिवादी...........

उपस्थिति- 01. श्री ओम धायल, वकील प्रार्थीगण
02. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

राजस्व प्रकरण संख्या - 06/2024 निर्णय दिनांक - 9-12-24
(जी.सी.एम.एस.-2024/104)

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि -

वादी के नाम से चक 3 जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 17 प.न. 204/64 कि. न. 16, 17, 22 ता 25 व मु.न. 31 प.न. 205/49 का कि.न. 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 व मु.न, 32 प.न. 205/57 का कि.न, 3, 4/1, 4/2, 5 ता 8, 14 ता 17, 24, 25 व मु.न. 33 प.न. 225/1 का किन. 10/2, 11/2, 19, 20/2 का कुल 11.6890 हैक्टर भूमि कमाण्ड/अ.क. भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 44 में है। वर्णित भूमि के रिकार्ड में वादी का नाम छिन्द्रपाल कौर पुत्री बलजीतसिंह अकिंत है जो कि अब मुझ वादी के द्वारा अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया गया है। लिंग परिवर्तन करवाने बावत सूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र दिनांक 08.09.2018 को हो चुका है वादी का पहचान पत्र संख्या NAX0141947 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आधार कार्ड क्रमांक 935164446293 चालक अनुज्ञप्ति संख्या आर.जे.31 20020042541 में वादी का नाम छिन्द्रपालसिंह दर्ज है लेकिन जमाबन्दी में वादी का नाम छिन्द्रपालकौर दर्ज है भारत का राजपत्र व चिकित्सा प्रमाण पत्र (लिंग परिवर्तन प्रमाण पत्र) की प्रति सलंग्न वाद पत्र है। चूँकि अब वादी के पहचान संबंधी समस्त दस्तावेज में वादी का नाम छिन्द्रपालसिंह अकिंत हो गया है व वादी के द्वारा लिंग परिवर्तन करवा लिया गया है ऐसे में पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम छिन्द्रपाल सिंह के स्थान पर छिन्द्रपालकौर पुत्री बलजीतसिंह दर्ज होने से वादी को भूमि सुधार हेतु राजकीय योजनाओ का लाभ प्राप्त करने, भूमि सुधार करने, काश्त करने, आ[illegible] करने, फसल विक्रय करने, विक्रय राशि प्राप्त करने, पानी प[illegible] करने स[illegible] प्रत्येक [illegible]र्य में भारी असुविधाओ का सामना करना पडता है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम छिन्द्रपालकौर पुत्री बलजीतसिंह के स्थान पर छिन्द्रपालसिंह पुत्र बलजीतसिंह दर्ज करवाना चाहता है। वादी के द्वारा वर्ष 2022 में अपनी उपरोक्त पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि की फसल का [illegible] सरकार को किये जाने हेतु गिरदावरी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तो उनके द्वारा मुताबिक राजस्व रिकार्ड छिन्द्रपालकौर पुत्री बलजीतसिंह के नाम से प्रमाण पत्र दिये जाने का कहा जबकि मेरे पहचान बाबत् दस्तावेज में अब मेरा नाम छिन्द्रपालसिंह पुत्र बलजीतसिंह दर्ज हो चुका है ऐसे में फसल विकय करने में असुविधा होने पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम छिन्द्रपालकौर के स्थान पर छिन्द्रपालसिंह पुत्र बलजीतसिंह दूरूस्त करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क कर एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.05.2022 को प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट चाही गयी जो रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दूरूस्त करने का आश्वासन दिया जाता रहा किन्तु दूरूस्त नही किया गया टाल मटौल कर समय व्यतीत किया जाता रहा जिस पर वादी ने पुनः आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादी से सम्पर्क कर इस बावत कहा तो प्रतिवादी ने इस बाबत चाराजोही माननीय न्यायालय में करने का कह दिया गया जिस कारण से वादी को वाद कारण प्राप्त होने पर वादी यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर रहा है। वादी के द्वारा अपना नाम लिंग परिवर्तन विधिवत् करवा लिया गया है एव वादी के पहचान संबंधी दस्तावेज में भी वादी का नाम परिवर्तन कर छिन्द्रपालसिंह पुत्र बलजीतसिंह दर्ज हो चुका है व इसके अलावा वादी की तहसील हनुमानगढ़ के चक 44 एन.जी.सी. में भूमि है जिसके राजस्व रिकार्ड में भी वादी का नाम दूरूस्त कर छिन्द्रपालकौर के स्थान पर छिन्द्रपालसिंह अकिंत किये जाने के लिए डिक्री पारित की जा चुकी है इसलिए पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि का छिन्द्रपालकौर पुत्री बलजीतसिंह के स्थान पर छिन्द्रपालसिंह पुत्र बलजीतसिंह को खातेदार टेनेनट घोषित किया जाकर वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम दूरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। व वादी इस बावत घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है।

अतः वाद पत्र पेश कर अर्ज है कि वाद पत्र निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि :-
चक 3 जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 17 प.न. 204/64 कि.न. 16, 17, 22 ता 25 व मुन. 31 प.न. 205/49 का किन. 1/2, 2 ता 9, 10/2, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/2, 22 ता 25 व मुन. 32 प.न. 205/57 का किन. 3, 4/1, 4/2, 5 ता 8, 14 ता 17, 24,25 व मु.न. 33 प.न. 225/1 का किन. 10/2, 11/2, 19, 20/2 का कुल 11.6890है. भूमि कमाण्ड/अ.क. भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 2073-2076 खाता सं. 44 की भूमि का वादी छिन्द्रपालसिंह पुत्र बलजीतसिंह को खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज छिन्द्रपालकौर पुत्री बलजीतसिंह को दूरूस्त किया जाकर छिन्द्रपालसिंह पुत्र बलजीतसिंह किया जाने के आदेश पारित किये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर द्वारा जवाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाके चक 3 जीएम तहसील श्रीविजयनगर का प0न0 205/57(32) कि0न0 1, 2, 9 ता 13, 18 ता 23, कुल 3.289 हैक्टर व प.न. 204/64 का कि0न0 16, 17, 22 ता 25 में 1.518 हैक्टर, प0न0 205/49 कि0न0 1 ता 25 6.199 है0, प0न0 205/57 का कि0न0 3 ता 8, 14 ता 17, 24, 25 कुल 3.036 है0 प.न. 228/1 कि0न0 10, 11, 19, 20 में 0.936 है0 कुल 11.689 है0 कमाण्ड/अ.क. रकवा छिन्द्रपालकौर पुत्री बलजीतसिंह जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंह तह0 हनुमानगढ़ खातेदार दर्ज है। मुताविक राजस्व रिकार्ड कोई स्थगन/विवाद नहीं है। मौके पर कब्जाकाश्त वादी का ही है। वादी छिन्द्रपालसिंह पुत्र बलजीतसिंह उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में लिंग परिवर्तन के उपरान्त छिन्द्रपाल कौर के स्थान पर छिन्द्रपालसिंह नाम [illegible] चाहिए। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] में उपलब्ध दस्तावेज परिवार के जनआधार कार्ड, मतदाता [illegible] नाम छिन्द्रपाल सिंह अकिंत है। सरपंच ग्राम पंचायत ज्वालासिंहवाला पं[illegible]समिति हनुमानगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 10.06.2021 के अनुसार छिन्द्रपाल कौर पुत्री श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख साकिन चक ज्वालासिंहवाला द्वारा भारत सरकार के राजपत्र [illegible]स्ट्री संख्या डीएल(एन)-04/0007/2003-05 संख्या 36 सितम्बर 8-सितम्बर 14, 2018 (भाद्र 17, 1940) में प्रकाशित

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 1865 के अनुसार जो संलग्न वाद पत्र है, छिन्द्रपाल कौर ने अपना जेन्डर परिवर्तन करते हुए अपना नाम छिन्द्रपाल कौर से छिन्द्रपाल सिंह कर लिया है। वादी द्वारा दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में अपना नाम परिवर्तन छिन्द्रपाल कौर के स्थान पर छिन्द्रपाल सिंह सिंह करने संबंधी प्रकाशित करवाया गया है, समाचार पत्र की प्रति संलग्न वाद है। वादी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 31.03.2023 की प्रति प्रस्तुत की गई। न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 31.03.2023 द्वारा चक 44 एन. जी.सी. के प0न0 139/252 (11) तथा चक 50 एनजीसी के प0न0 127/254 (46) एवं इसी चक के प0न0 128/254 (47) में वादी के नाम से 1/8 हिस्सा भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम छिन्द्रपाल कौर के स्थान पर छिन्द्रपाल सिंह अकिंत करने के आदेश किये गये है, पारित निर्णय एवं डिक्री की प्रति प्रस्तुत की गई है। वादी द्वारा Dr. sanjay Pandey, Kokilaben Dhirubhai Ambani hospital& medical research Institute द्वारा जारी Whomsoever it may concern प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार वादी द्वारा (वर्ष 2014-2017) अपना जेन्डर परिवर्तन (FIMALE TO MALE) करवाया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::-क्रियान्वयन आदेश ::-

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो को मध्यनजर रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 3 जीएम तहसील श्रीविजयनगर के प0न0 205/57 (32) कि0न0 1, 2, 9 ता 13, 18 ता 23, कुल 3.289 हैक्टर व प.न. 204/64 का कि0न0 16, 17, 22 ता 25 में 1.518 हैक्टर, प0न0 205/49 कि0न0 1 ता 25 6.199 है0, प0न0 205/57 का कि0न0 3 ता 8, 14 ता 17, 24, 25 कुल 3.036 है0 प.न. 228/1 कि0न0 10, 11, 19, 20 में 0.936 है0 कुल 11.689 है0 कमाण्ड/अ.क. रकबा के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छिन्द्रपालकौर के स्थान पर छिन्द्रपाल सिंह अकिंत किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आदिनांक 9-12-24........ को लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीविजयनगर।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.20 11:12:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner